(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 13 अप्रैल, 2021

विषयः वर्ष 2020–21 हेतु टीआरक्यू स्कीम के अंतर्गत यूके को 3675.13 मीट्रिक टन (खांड/परिष्कृत) चीनी की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा वर्ष 2020–21 (सितम्बर 30, 2021 तक) हेतु यूके को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत **3675.13 मीट्रिक टन खांड/परिष्कृत चीनी की अतिरिक्त मात्रा** का आवंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं. 3/2015–20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यूके को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरुप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन "मुक्त" है।

3. यूके को चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण–पत्र, यदि अपेक्षित हो, उदगम प्रमाण पत्र अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूके को चीनी के निर्यात हेतु विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट अन्य प्रमाणन की आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।

4. कोटे को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा यूके को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में संचालित किया जाएगा।

5. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015–2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

6. यह 3675.13 मीट्रिक टन की टीआरक्यू चीनी की अतिरिक्त मात्रा सार्वजनिक सूचना 14/2015–20 दिनांक 21.07.2020 के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित यूरोपीय संघ सीएक्सएल चीनी के 10.000 मीट्रिक टन कोटे के अलावा है।

7. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

टीआरक्यू के तहत यूके को दिनांक 30.09.2021 तक निर्यात किए जाने के लिए 3675.13 मीट्रिक टन खांड/परिष्कृत चीनी की अतिरिक्त मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव
13/04/2021

(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एंव
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/879/एएम–08/निर्यात प्रकोष्ठ/(खण्ड VIII)/ई–20749 से जारी)